



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012026-269060
CG-DL-E-02012026-269060

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 2026/पौष 11, 1947

No. 06]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 2026/PAUSHA 11, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

सं. 52 /2025-26

विषय: प्राकृतिक शहद के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की वैधता बढ़ाने हेतु संशोधन के संबंध में।

का.आ. 6(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व अधिसूचना सं. 27/2025-26 दिनांक 22.08.2025 में संशोधन के संबंध में केन्द्र सरकार एतद्वारा अनुसूची-II (निर्यात नीति) के आइटिसी (एचएस) कोड 04090000 के अंतर्गत प्राकृतिक शहद की मौजूदा न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त की वैधता को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार विस्तारित करती है:-

प्रशुल्क मद एचएस कोड	मद विवरण	निर्यात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
04090000	प्राकृतिक शहद	मुक्त	31 दिसंबर, 2025 तक एफ.ओ.बी. प्रति मीट्रिक टन 1400 अमेरिकी डॉलर के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधीन	31 मार्च 2026 तक एफ.ओ.बी. प्रति मीट्रिक टन 1400 अमेरिकी डॉलर के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधीन

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

प्राकृतिक शहद (आइटीसी एचएस कोड 04090000 के तहत निर्यातित) पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 31 मार्च 2026 तक तत्काल प्रभाव से एफओबी प्रति मीट्रिक टन 1400 अमेरिकी डॉलर पर बना रहेगा।

[फा. सं. 01/91/180/879/एएम08/ईसी/खंड 8/पार्ट फाइल/ई-38272]

अजय भादू, पदेन अपर सचिव और महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

No. 52 /2025-26

Subject: Amendment for extension of validity of Minimum Export Price (MEP) on export of Natural Honey – regarding.

S.O. 6(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, and in amendment of the earlier Notification No. 27/2025-26 dated 22.08.2025, the Central Government hereby extends the validity of the existing Minimum Export Price condition of Natural Honey under ITC(HS) code 04090000 of Schedule-II (Export Policy), as under, with immediate effect:—

Tariff item HS Code	Item description	Export Policy	Existing Policy condition	Revised Policy condition
04090000	Natural Honey	Free	Subject to a Minimum Export Price (MEP) of US Dollar 1400 FOB per Metric Ton, till 31 st December 2025.	Subject to a Minimum Export Price (MEP) of US Dollar 1400 FOB per Metric Ton, till 31st March 2026.

2. Effect of this Notification:

Minimum Export Price (MEP) on Natural Honey (exported under ITC HS Code 04090000) shall remain at US Dollar 1400 FOB per Metric Ton till 31st March 2026, with immediate effect.

[F. No. 01/91/180/879/AM08/EC/Vol.8/PartFile/e-38272]

AJAY BHADOO, Addl. Secy. & Director General of Foreign Trade